

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर  
(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान) कैम्प लिखम) कावास

**आदेश**

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी के वयान व सहखातेदार के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 व धारा 88 आर.टी.एक्ट के अनुसरण में ग्राम मदनी प0ह0...  
मदनी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की जमाबन्दी सम्वत् 2076-77 में खाता संख्या 40, 41, 134, 369 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:-

क्र. सं.	ग्राम / प0ह0	खाता संख्या / खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	मदनी	खाता संख्या - 40, 41, 134, 369	गुलझारी पुत्र एणमाठ बूवा पुत्र एणमाठ	गुलझारी पुत्र दांताराम पुत्र एणमाठ व बूवा पुत्र एणमाठ उफे एणमाठ व फ करने के आदेश दिये जाते हैं। किसी भी मांगलाक का चयन नही करा जायेगा

प्रशासन प्रार्थी के संग अभियान -2021

राजेश कुमार मीणा  
(राजेश कुमार मीणा)  
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर

क्रमांक / कैम्प / 2021 / 666  
प्रतिलिपि:-

दिनांक:- 01/12/2021

- 1 तहसीलदार, दांतारामगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
- 2 प्रार्थी श्री.....को सुचनार्थ।
- 3 रक्षित पत्रावली।

प्रशासन प्रार्थी के संग अभियान -2021  
पीठासीन अधिकारी प्रशासन संग गांवों के अभियान-2021  
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर।

राजेश कुमार मीणा  
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर